राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः– 2067 दिनांकः– 14/9/16

ई–निविदा सूचना संख्या

परियोजना कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के शैक्षणिक भ्रमण योजनान्तर्गत बस हेतु ई निविदा 6 से 7 बस प्रति रूट, कुल6 रूट के लिए कुल 41 बस, प्रति बस 52 यात्री 3x2 सीटर हेतु अनुभवी फर्मो / ट्रेवल एजेन्सियों से ई–निविदा के माध्यम से बोलिया आमंत्रित की जाती है।

क्रं सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	अमानत राशि रू0 में	बोली राशि(निविदा शुल्क) रू0 में	प्रोसेसिंग शुल्क रू0 में
1	शैक्षणिक भ्रमण योजनान्तर्गत बस हेतु ई निविदा 6 से 7 बस प्रति रूट, कुल6 रूट के लिए कुल 41 बस, प्रति बस 52 यात्री 3x2 सीटर	30.00 लाख	11000.00 प्रति रूट (कुल 6 रूट)	400/-	500/-

1	ई निविदा प्रकाशन की तिथी एवं समय	15.09.16
2	बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ की तिथी एवं समय	15.09.16 11.00 AM
3	बोली प्रस्तुत प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	15.09.16 11.00 AM
4	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	04.10.16 को 05.00 PM तक
5	अमानत राशि, प्रोसेसिंग शुल्क,निविदा प्रपत्र शुल्क प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	05.10.16 को 11.00 AM तक
6	निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	05.10.16 को 11.30 AM

निविदा शुल्क एवं अमानत राशि जरिये बेंकर ड्राफ्ट / बैंकर चेक परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के नाम से देय एवं प्रोसेसिंग शुल्क प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम देय, मूल ही कार्यालय परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में प्रस्तुत करना होगा

निविदा फार्म एवं शर्ते विभागीय साईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा comm.tad@rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. लेखा शाखा ई निविदा सूचना upload करावें
2. केशियर
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय / कलेक्ट्रेट / संभागीय आयुक्त
4. गार्ड पत्रावली

राजस्थान सरकार

परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

ई – निविदा प्रपत्र

1. विषय	शैक्षणिक भ्रमण योजनान्तर्गत बस हेतु ई निविदा, 6 से 7 बस प्रति रूट, कुल 6 रूट के लिए 41 बस, प्रति बस 52 यात्री 3X2 सीटर
2. निविदा सूचना क्रमांक	....
3. निविदादाता का नाम व पता	....
4. ऑनलाईन डाउनलोडिंग दिनांक	15.09.2016
5. ऑनलाईन सबमिशन दिनांक	04.10.2016 को 5.00 PM तक
6. निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि प्रोसेसिंग शुल्क प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	5.10.16 को 11.00 बजे तक
7. ऑनलाईन ओपनिंग दिनांक	05.10.2016 अपरान्ह 11:30 AM बजे तक
8. निविदा प्रपत्र शुल्क	400/– रूपये
9. निविदा की सकल राशि	अनुमानित राशि 4.50 लाख प्रति रूट संख्या 1,2,3 व 5,25 लाख रूपये रूट 4,5,6 हेतु (कुल 30.00 लाख)
10. निविदा के लिए अमानत राशि	11000/– रूपये (अक्षरे रूपये 11000/– प्रति रूट)

11. मैंने/हमने ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा शर्ते ध्यान पूर्वक पढ ली है तथा समझ ली है। तथा मैं/हम उक्त संविदा की प्रत्येक शर्त मानने के लिए सहमत हूँ/है । तथा इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। परिशिष्ट "क" का विशेष रूप से अवलोकन कर लिया है।
12. वाहन बस, जिसके कि मै./हम स्वामी हूँ/है कि आवश्यकता होने पर बुलाने पर निम्नानुसार रूट वाईज प्रति बस की दर प्रस्तुत कर रहे है।

13. प्रस्तावित दरें BOQ. डाऊनलोड कर दरें भरी जाकर पुनः अपलोड करावें, BOQ. में किसी प्रकार का Change नहीं करावें, निविदा करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इन्तजार नहीं करें)

13. प्रत्येक रूट के लिये प्रस्तावित/निविदा राशि।

क्रं. सं	रूट संख्या	प्रस्तावित राशि प्रति बस प्रति रूट (समस्त कर, सेवाकर एवं अन्य प्रभार सहित रूट के लिए, राशि रूपयों में) (दरें अकों एवं शब्दों में अंकित करें)
1	2	3
1	रूट संख्या–1	प्रस्तावित राशि BOQ. में ही प्रपत्र में ही भरी जावें, इस प्रपत्र में नहीं भरी जावे.
2	रूट संख्या–2	
3	रूट संख्या–3	
4	रूट संख्या–4	
5	रूट संख्या–5	
6	रूट संख्या–6	

नोट :– जिस रूट के लिये आपको दरें उदृत (QUOTATED) नहीं करनी हो, उसके लिए NOT QUOTATED बिन्दू संख्या 13 के कॉलम 3 में अंकित करें।

14. मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई दरों में वाहन चालक व उसके वेतन तथा भत्ते, डीजल व आयल, वाहन की मरम्मत व रखरखाव व व्यय, वाहन के टैक्स/टोल

टेक्स, रूट परमिट (T.P.) इत्यादि सभी प्रकार के कर, सेवाकार एवं अन्य प्रभार सम्मिलित है तथा उक्त व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

15. मैं/हम सहमत है कि बिना कोई कारण बताए कोई या सभी निविदाएं निरस्त करने तथा न्यूनतम दर या किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का आपको पूर्ण अधिकार है।

16. मै/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/ करते है कि वाहन खराब होने की दशा में तुरन्त उसके एवज में अन्य वाहन की व्यवस्था करूँगा/करेंगे।

17. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि संविदा के अन्तर्गत लगे वाहन में कोई अनाधिकृत यात्री/व्यक्ति यात्रा नही करेगा तथा ऐसा पाये जाने पर मै/ हम राशि 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) प्रति अवसर विभाग को पेनल्टी जमा करने का वचन देता हूँ/देते है।

18. मैं /हमें घोषणा करते है/करता हूँ कि निविदा में दी गई सूचना सत्य है।

19. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि 11000 (अक्षरे रूपये ग्यारह हजार रू मात्र प्रति रूट 7 बसों के लिए ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या/दिनांक एवं बैंक का नाम देय स्थान उदयपुर जिनका विवरण नीचे दिये अनुसार है, परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पक्ष में संलग्न कर प्रस्तुत कर/रहा हूँ/रहे है।

रूट नं.	अमानत राशि	पे आर्डर न./डी.डी नं	बैंक का नाम
रूट नं 1			
रूट नं 2			
रूट नं 3			
रूट नं 4			
रूट नं 5			
रूट नं 6			

20. निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न है।

1. वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, वैद्य परमिट, फीटनेस एवं **Pollution Certificate** की प्रति।
2. वाहन चालक का अनुज्ञा पत्र की सत्यापित प्रतियों (वाहन चालक को कम से कम तीन वर्ष का चालन का अनुभव होना चाहिए अर्थात अनुज्ञा पत्र कम से कम तीन वर्ष पुराना होना आवश्यक है)

21. मैंने परिशिष्ट– क अर्थात शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम 2016–17 का अवलोकन कर लिया है। मैं मेरे द्वारा प्रस्तावित रूट पर समस्त 7 बसें लगाने हेतु सक्षम हूँ एवं रूट की विस्तृत जानकारी मुझे हैं।

22. वेब अथवा इंटरनेट से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र भरने की दशा में राशि रू....400 का पृथक से डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में सलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।

23. प्रस्तुत दरों में अकों एवं शब्दें में भिन्नता पाई जाने पर न्यूनतम दर को ही वैद्य माना जायेगा।

24. यदि मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो हम कार्यादेश के अनुसार वाहन सुपूर्द/उपलब्ध कराने को बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

संलग्नः–
दिनांकः–

भवदीय,

निविदादाता के हस्ताक्षर

शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम सत्र 2016–17

रूट नं –1 (अनुमानित 2000 कि॰मी॰)

दिनांक	भ्रमण स्थान
20.10.2016	छात्रावास से रवानगी, माउण्ट आबु भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
21.10.2016	माउण्ट आबु से प्रस्थान, जोधपुर भ्रमण, केयर्न्स इण्डिया प्रा0 लि0 प्रशिक्षण केन्द्र अवलोकन, रात्रि विश्राम
22.10.2016	जोधपुर से प्रस्थान, रामदेवरा दर्शन, जैसलमेर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
23.10.2016	जैसलमेर से बाडमेर, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जयपुर रात्रि विश्राम
24.10.2016	जयपुर भ्रमण, पुष्कर रात्रि विश्राम
25.10.2016	चितौड़ भ्रमण सावरियाजी दर्शन वापसी छात्रावास रात्रि 09.00बजे तक

नोटः– उपरोक्त 7 बसों की रवानगी व वापसी निम्न तालिकानुसार जनजाति छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों से होगी।

क्रं संख्या	बस संख्या	बस रवानगी एवं वापसी का स्थान
1	प्रथम	आश्रम छात्रावास बालक बारापाल
2	द्वितीय	आश्रम छात्रावास बालक डैया
3	तृतीय	आश्रम छात्रावास बालक मादडी
4	चतुर्थ	आश्रम छात्रावास बालक बाघपुरा
5	पंचम	आश्रम छात्रावास बालक ढीमडी
6	छस्तम	आश्रम छात्रावास बालक गोराणा
7	सप्तम	आश्रम छात्रावास बालक आडीवली और सरेरा

रूट नः–2 (कुल बस) (अनुमानित 2000 कि॰मी॰)

दिनांक	भ्रमण स्थान
20.10.16	छात्रावास से रवानगी, उदयपुर भ्रमण, सावरियाजी, चितौड भ्रमण मेनाल रात्री विश्राम
21.10.16	मेनाल, जोगणियामाता, बुंदी, कोटा भ्रमण, चम्बल डेम रात्रि विश्राम
22.10.16	कोटा से प्रस्थान, सवाई माधोपुर भ्रमण, रणथम्बोर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
23.10.16	रणथम्बोर से प्रस्थान, जयपुर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
24.10.16	जयपुर से प्रस्थान, पुष्कर भ्रमण, अजमेर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
25.10.16	अजमेर से प्रस्थान,चारभुजा,कुम्भलगढ,हल्दीघाटी,उदयपुर वापसी छात्रावास रात्री...... बजे तक

नोटः– उपरोक्त 7 बसों की रवानगी व वापसी निम्न तालिकानुसार जनजाति छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों से होगी।

क्रं संख्या	बस संख्या	बस रवानगी एवं वापसी का स्थान
1	प्रथम	आश्रम छात्रावास बालक खेल खैरवाडा
2	द्वितीय	आश्रम छात्रावास बालक बावलवाडा
3	तृतीय	आश्रम छात्रावास बालक ढेलाणा
4	चतुर्थ	आश्रम छात्रावास बालक टोकर
5	पंचम	आश्रम छात्रावास बालक भोराईपाल
6	छस्तम	आश्रम छात्रावास बालक करावली
7	सप्तम	आश्रम छात्रावास बालक भबराना

शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम सत्र

रूट नं:– 3 (कुल बस) अनुमानित 2000 कि.मी.)

दिनांक	भ्रमण स्थान
20.10.16	छात्रावास से रवानगी, कुम्भलगढ भ्रमण रणकपुर भ्रमण एवं जोधपुर रात्रि विश्राम
21.10.16	जोधपुर भ्रमण केयन इण्डिया प्रा.लि. का अवलोकन रामदेवरा रात्रि विश्राम
22.10.16	रामदेवरा से अजमेर रात्रि विश्राम
23.10.16	अजमेर भ्रमण से जयपुर रात्रि विश्राम
24.10.16	जयपुर भ्रमण, हरिणया महादेव चितौड रात्रि विश्राम
25.10.16	आवरी माता सावरियाजी उदयपुर भ्रमण वापसी छात्रावास रात्री ..... बजे तक

नोट:– उपरोक्त 7 बसों की रवानगी व वापसी निम्न तालिकानुसार जनजाति छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों से होगी।

क्र.संख्या	बस संख्या	बस रवानगी एवं वापसी का स्थान
1	प्रथम	आश्रम छात्रावास बालक लसाडिया बालक
2	द्वितीय	आश्रम छात्रावास बालक सराडा
3	तृतीय	आश्रम छात्रावास बालक केजड
4	चतुर्थ	आश्रम छात्रावास बालक झाडोल सराडा
5	पंचम	आश्रम छात्रावास बालक परसाद
6	छस्तम	आश्रम छात्रावास बालक आवि खेरवाडा
7	सप्तम	आश्रम छात्रावास बालक आवि कोटडा

रूट नं:– 4 (कुल बस) (अनुमानित 2000 कि.मी.)

दिनांक	भ्रमण स्थान
21.10.16	छात्रावासों से रवानगी, माउण्ट आबु भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
22.10.16	माउण्ट आबु से प्रस्थान, जोधपुर भ्रमण केयन इण्डिया प्रा.लि.का अवलोकन रात्रि विश्राम
23.10.16	जोधपुर से प्रस्थान, रामदेवरा दर्शन, जैसलमेर रात्रि विराम
24.10.16	जैसलमेर भ्रमण, करणी माता दर्शन, जयपुर रात्रि विश्राम
25.10.16	जयपुर भ्रमण, पुष्कर रात्रि विश्राम
26.10.16	भीलवाडा वस्त्र नगरी,/गौशाला (नौ गांव, पुर), मातृकण्डिया, चितौड भ्रमण सावरियाजी दर्शन वापसी छात्रावास रात्री.9 बजे तक

नोट:– उपरोक्त......7......बसों की रवानगी व वापसी निम्न तालिकानुसार जनजाति छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों से होगी।

क्र.संख्या	बस संख्या	बस रवानगी एवं वापसी का स्थान
1	प्रथम	आश्रम छात्रावास बालिका मधुबन
2	द्वितीय	आश्रम छात्रावास बालिका खेल मधुबन
3	तृतीय	आश्रम छात्रावास बालिका उमरडा
4	चतुर्थ	आश्रम छात्रावास बालिका बछार
5	पंचम	आश्रम छात्रावास बालिका मेरपुर
6	छष्ठम	आश्रम छात्रावास बालिका पानरवा
7	सप्तम	आश्रम छात्रावास बालिका फलासिया

~~शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम रूट~~

रूट नं:– 5 (कुल बस) (अनुमानित 2000 कि.मी.)

दिनांक	भ्रमण स्थान
21.10.16	छात्रावास से रवानगी, उदयपुर भ्रमण, सावरियाजी, चितौड भ्रमण मेनाल रात्री विश्राम
22.10.16	मेनाल, जोगणियामाता, बुंदी, कोटा भ्रमण, चम्बल डेम रात्रि विश्राम
23.10.16	कोटा से प्रस्थान, सवाई माधोपुर भ्रमण, रणथम्बोर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
24.10.16	रणथम्बोर से प्रस्थान, जयपुर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
25.10.16	जयपुर से प्रस्थान, पुष्कर भ्रमण, अजमेर भ्रमण एवं रात्रि विश्राम
26.10.16	अजमेर से प्रस्थान,चारभुजा,कुम्भलगढ,हल्दीघाटी,उदयपुर वापसी छात्रावास रात्री 9 बजे तक

नोटः– उपरोक्त.....7.....बसों की रवानगी व वापसी निम्न तालिकानुसार जनजाति छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों से होगी।

क्रम.संख्या	बस संख्या	बस रवानगी एवं वापसी का स्थान
1	प्रथम	आश्रम छात्रावास बालिका पीपलीखेडा
2	द्वितीय	आश्रम छात्रावास बालिका कनबई
3	तृतीय	आश्रम छात्रावास बालिका गोहावाडा
4	चतुर्थ	आश्रम छात्रावास बालिका ऋषभदेव
5	पंचम	आश्रम छात्रावास बालिका गींगला
6	छस्तम	आश्रम छात्रावास बालिका सराडा
7	सप्तम	आश्रम छात्रावास बालिका चावण्ड

रूट नं:– 6 (कुल बस) (अनुमानित 2000 कि.मी.)

दिनांक	भ्रमण स्थान
21.10.16	छात्रावास से रवानगी, कुम्भलगढ भ्रमण रणकपुर भ्रमण एवं जोधपुर रात्रि विश्राम
22.10.16	जोधपुर भ्रमण केयन इण्डिया प्रा.लि का अवलोकन रामदेवरा रात्रि विश्राम
23.10.16	रामदेवरा से अजमेर रात्रि विश्राम
24.10.16	अजमेर भ्रमण से जयपुर रात्रि विश्राम
25.10.16	जयपुर भ्रमण, हरिणया महादेव चितौड रात्रि विश्राम
26.10.16	आवरी माता सावरियाजी उदयपुर भ्रमण वापसी छात्रावास रात्री ..... बजे तक

नोटः– उपरोक्त 6.बसों की रवानगी व वापसी निम्न तालिकानुसार जनजाति छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों से होगी।

क्र.संख्या	बस संख्या	बस रवानगी एवं वापसी का स्थान
1	प्रथम	आश्रम छात्रावास बालिका सरू
2	द्वितीय	आश्रम छात्रावास बालिका रठौडा
3	तृतीय	आश्रम छात्रावास बालिका गावडापाल
4	चतुर्थ	आश्रम छात्रावास बालिका कूण
5	पंचम	आश्रम छात्रावास बालिका आवि सलूम्बर
6	छस्तम	आश्रम छात्रावास बालिका मॉडल स्कूल ढीकली

वाहन किराए पर लिए जाने की निविदा से संबंधित विशिष्ट शर्ते व नियमः–

केवल सक्षम सेवा प्रदायगी ही निविदा भरने के योग्य होगे।

निविदा का मुल्यांकन रूटवार किया जायेगा, अनुमोदित सेवा प्रदाय को प्रति रूट 52 यात्री क्षमता की ....बसें उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दरे प्रत्येक रूट के लिए पृथक–पृथक भरनी होगी।

सफल निविदादाता को आदेश दिनांक से दो दिवस अथवा शैक्षणिक भ्रमण से पूर्व अनुमोदित राशि का 5 .प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा प्रारूप .17 ..में..1000...रू मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

वाहन चालक को देय समस्त भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत/रखरखाव व व्यय, रोड़ टेक्स, टोल टेक्स, डीजल–आयल, परमिट शुल्क, पार्किंग शुल्क इत्यादि सभी प्रकार के कर, सेवाकार एवं अन्य प्रभार भी सेवाप्रदायक द्वारा ही वहन किये जायेगे। निविदत्त दरे समस्त कर एवं प्रभार सहित उद्धृत मानी जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

संविदाकार द्वारा सेवा प्रदाय में दोषी पाए जाने अथवा किसी भी कार्य में असफल पाये जाने पर प्रभारी बस रूट द्वारा उक्त कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था (Risk & Cost) की जायेगी, जिसका समस्त अतिरिक्त भार/राशि संविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा अर्थात संविदाकार को होने वाले भुगतान या जमानत राशि से वसूली की जायेगी।

भुगतानः–

1 किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

2 वाहन के किराए का भुगतान इस कार्यालय द्वारा जारी लोगबुक पर प्रभारी रूट के प्रमाणन के पश्चात नियमानुसार किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3 विवादास्पद मामलों में संविदाकार को देय राशि का 25 प्रतिशत भुगतान को रोका जाकर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

4 प्रस्तुत बिलों से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।

5 संतोषजनक यात्रा समाप्ति पर भुगतान वास्तविक परिचालन के आधार (अनुपालित आधार) पर देय होगा।

6 यदि संविदा से निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलों को आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में सम्बद्ध होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

7 सम्सत विधिक कार्यवाही का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

8.किसी भी निविदा दरो को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति का होगा।

9 निविदाकार की ओर से लगाई गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

10 निविदाकार को वाहन खराब होने की दशा में तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

11. निविदाकार को निविदा के साथ परिवहन विभाग द्वारा जारी कर चूकता प्रमाण पत्र की प्रति, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, वैद्य परमिट, फीटनेस एवं Pollution certificate की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

12 वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।

13 वाहन चालक को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का विश्राम भत्ता/दैनिक भत्ता इत्यादि विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

14 अनुबन्ध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा अर्थात किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

15यात्रा कार्यक्रम में परिवर्तन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। इसमें निविदाकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

16 वाहन का पूर्ण बीमा, कम्प्रेसिव होना चाहिए (प्रति संलग्न करावें)

17. अनुबन्ध की शर्तो, नियमों के अर्थ व आशय पर विभाग का निर्णय मान्य होगा।

18 वाहन के चालान/हानि या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

19 निविदादाता को एक रूट पर 7 बसों को लगाना होगा, उक्त संख्या में कमी/बढोतरी की जा सकती है। रवानगी व किसी स्थान पर ठहराव (Stop/Stay/Moov)प्रभारी बस के निर्देशों के अनुरूप करनी होगी एवं वाहन चालक/परिचालक किसी भी स्थिति में धुम्रपान/मद्यपान आदि का उपयोग/सेवन नहीं करेगा तथा विभाग के बस प्रभारी के साथ विनम्र व्यवहार रखेगा। व्यवहार में कोई दोष अथवा बस प्रभारी के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में प्रति दोष (प्रत्येक गलती) के लिए 500 रू अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा। इसके दोहराव की स्थिति में भविष्य में सेवा प्रदाय को Debar किया जायेगा।

20 प्रत्येक बस कम से कम 50 सीट की होगी तथा प्रत्येक पक्तिं में सीट 3X2 की होगी।

21 बसो का मॉडल 2010 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

22 निर्धारित समय सीमा में पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार शैक्षणिक भ्रमण पूर्ण करना होगा।
23 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान उपापमन अधिनियम के समस्त नियम तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र इस निविदा/अनुबन्ध पर प्रभावी होंगे।
24 भ्रमण हेतु जाने वाले छात्र–छात्राओं के नाम की सूची सफल निविदादाता को दिनांक यात्रा से दो दिवस पूर्व उपलब्ध करवाई जायेगी।

यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो सेवाकर की राशि स्वयं के स्तर से संबंधित मद में जमा करानी होगी तथा चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता अपने स्तर से रूट की दूरी व देय समस्त प्रकार के कर, सेवाकर, पार्किंग, टी.पी. शुल्क एवं अन्य प्रभार की दैयता का आंकलन कर निविदा दरें प्रति रूट(7/6.बसों) के लिए प्रस्तावित करे। किसी कारण वश रास्ते में रूट परिवर्तन किया जाता है तो सविंदाकार को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देय नहीं होगा।

बस पूर्णतः फिट होनी चाहिए, विशेष रूप से वाहन में कॉच, खिडकीयॉ, सेल्फ–स्टार्ट,स्टेपनी आदि पूर्णतः क्रियाशील(Functional) होनी चाहिए। वाहन(बसों में) में अग्नि शमन यंत्र (Fire Extinguishers) लगा हुआ होना चाहिए, बस में आपातकाल निकासी द्वार, लाईट/होर्न सही हालात में अर्थात संचालन की अवस्था में होना चाहिए। वाहन में Speed Governance लगा हुआ होना चाहिए तथा First Aid Box की व्यवस्था होनी चाहिए।

निविदा प्रपत्र के बिन्दू संख्या 19 में अंकित आवश्यक दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न नहीं करने पर निविदा निरस्त की जायेगी एवं उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदादाता रूट के सातों वाहन चालकों को यह निर्देशित करेगा की यात्रा प्रथम दिन के रात्री स्थल के पश्चात समस्त वाहन एक साथ यात्रा करेगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure-'A'

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
g) Disclose conflict of interest, if any, and
h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or

e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or

f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:

Designation:

Address:

Annexure-'B'

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS
DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Commissioner **TADD Udaipur** for procurement of M/s ………………………………………… In response to their notice inviting Bids No……………………Dated …………….I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the procuring entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being would up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding document, which materially affects fair competition.

Signature of Bidder with Seal

Date:
Place:

Name:
Designation:
Address:

Annexure-'C'

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is

....

....

....

The designation and address of the Second Appellate Authority is.. ...

....

...

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may filė an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.

(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-

   (i) Hear all the parties to appeal present before him; and

   (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ....of.....................
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

    (i) Name of the appellant:

    (ii) Official address, if any:

    (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

    (i)

    (ii)

    (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....
....
....
(supported by an affidavit)

7. Prayer :

....
....
....
Place.........................
Date.........................

Appellant's

Signature

Annexure-'D'

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address: